

ग्रामीण सेवा शिविर - 2025, ग्राम पंचायत : 16A5 (रूपली)

फार्म नं- III
फर्ड अहकाम
(नियम-20)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
पेत्रपुन भागीरथ
अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

मुकाम श्रीविजयनगर
सरकार
नम्बर 179 सन 2025
जी.सी.एम.एस. आईडी 2025 / 297

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी किये गये


18/09/25

प्रार्थी की ओर से शिविर में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती हेतु निवेदन किया। रिपोर्ट पटवारी हल्का / भू.अ.नि. / नायब तहसीलदार / तहसीलदार श्रीविजयनगर के द्वारा दुरुस्ती किए जाने की अनुशंसा की गई है। पत्रावली का अवलोकन किया। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी चक 16A5 खाता सं. 20 में RMGB शाखा रूपली

के स्थान पर राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा रूपली

की दुरुस्ती किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन यथावत रहेगा। आदेश की तहरीर पृथक से जारी हो।

निर्णय मजमा-ए-आम में सुनाया गया। पत्रावली फौसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।


शकुन्तला
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

